राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0

सूडा भवन सं0–23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल–100, शहीद पथ), लखनऊ–226002
फोनः 0522–2838081, 2838064, फैक्सः 0522–2838082
वेबसाइटः website-www.sudaup.org, ईमेलः pmusuda@gmail.com

पत्रांकः 1564 /कैम्प/नि.सूडा/2019 दिनांकः 22 मार्च, 2019

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा)
उत्तर प्रदेश।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0–40(1)/69–1–2019–14(87)/2017, दिनांक 19.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में 977057 आवास स्वीकृति के सम्बन्ध में है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 1106906 है। उक्त आवासों के निर्माण की स्थिति अनारम्भ से लेकर विभिन्न स्तरों पर है, जिनके विषय में माडल कोड ऑफ कन्डक्ट के सम्बन्ध में शासन द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत "मैन्युअल आन माडल कोड ऑफ कन्डक्ट", मार्च, 2019 के पृष्ठ–33–34 के पैरा 5.2.1 (vii) (b) में निम्नवत् प्राविधान हैः–

5.2.1 (vii) The following types of existing work can be continued by the government agencies without reference to the Election Commission.
(b) Beneficiary-Projects where specific beneficiaries have been indentified, by name, before coming of Model Code into force.

इससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के लाभार्थी जिनकी की स्वीकृति दिनांक 10.03.2019 के पूर्व भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है, उनके आवासों का निर्माण कार्य नियमानुसार कराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दिनांक 10.03.2019 के पूर्व स्वीकृत हुए लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त नियमानुसार निर्गत/अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
22/3/2019
(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–

1– प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर अवलोकनार्थ।

2– समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

Dir. Camp Letter Head

संख्या–40(1)/69–1–2019–14(87)/2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ

8623/C/S
22/03/19

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2019

विषयःप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष प्रथम, द्वितीय व तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–11846/01/29/एचएफए–17/2018–19 दिनांक 19 मार्च, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में कुल 977057 आवास स्वीकृत हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 1106906 है। उक्त आवासों के निर्माण की स्थिति अनारम्भ से लेकर विभिन्न स्तरों पर है, जिनके विषय में माडल कोड आफ कण्डक्ट के दृष्टिगत मार्गदर्शन चाहा गया है।

2– इस संबंध में उल्लेख करना है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत "मैन्युअल आन माडल कोड आफ कण्डक्ट" मार्च, 2019 के पृष्ठ–33–34 के पैरा 5.2.1 (Vii) (b) में निम्न प्राविधान है :–

5.2.1 (Vii) The following types of existing work can be continued by the government agencies without reference to the Election Commission.

(b) Beneficiary-Projects where specific beneficiaries have been identified , by name, before coming of Model Code into force.

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जिन 1106906 लाभार्थियों की स्वीकृति दिनांक 10–3–2019 के पूर्व प्राप्त हो चुकी है, उनके आवासों का निर्माण कार्य नियमानुसार कराया जा सकता है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

19.3.19

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

AD
DMC/PO
Letter

22/3/19